

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :- कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

(1) प्रकरण संख्या 83/2024 (उदयपुर डिक्री)

श्रीमती गुड्डी उर्फ दुर्गा बाई पुत्री स्वर्गीय उदयलाल जी मेनारिया पत्नी शिवशंकर मेनारिया, निवासी पानेरियों की मादडी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती बाबू बाई पुत्री स्वर्गीय ऊंकार जी मेनारिया पत्नी दाडमचन्द मेनारिया, निवासी चिरवा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती ईश्वरी बाई पुत्री स्वर्गीय ऊंकारलाल जी मेनारिया पत्नी कालूलाल मेनारिया, निवासी मादडी पानेरियान, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. छगनलाल पिता स्वर्गीय ऊंकारलाल जी मेनारिया, निवासी मादडी पानेरियान, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
4. धनलाल पिता स्वर्गीय उदयलाल जी मेनारिया, निवासी छोटे चौराहे के पास, मादडी पानेरियान, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
5. कालूलाल पिता स्वर्गीय उदयलाल जी मेनारिया, निवासी छोटे चौराहे के पास, मादडी पानेरियान, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
6. लक्ष्मीलाल पिता स्वर्गीय उदयलाल जी मेनारिया, निवासी पीपली चौक, गायरियावास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
7. श्रीमती ललिता पत्नी स्वर्गीय उदयलाल जी मेनारिया, निवासी छोटे चौराहे के पास, मादडी पानेरियान, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
8. दाडमचन्द पिता पूर्णाशंकर जी मेनारिया, निवासी चिरवा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
9. श्रीमती मीना जैन पत्नी कालूलाल जी जैन, निवासी 287-बी, सेक्टर नंबर 9, सवीना मेन रोड़, उदयपुर (राज.)
10. विनोद सुखवाला पिता रतनलाल जी सुखवाल, निवासी रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
11. अर्हम बिल्ड स्टेट प्रा.लि. जरिये डायरेक्टर कालूलाल जैन पुत्र स्वर्गीय शंकरलाल जी जैन, निवासी 13-बी, सबसिटी सेन्टर, उदयपुर (राज.)
12. दिलीप जैन पिता स्वर्गीय शंकरलाल जी जैन, निवासी सवीना मेन रोड़, उदयपुर (राज.)
13. कालूलाल जैन पिता स्वर्गीय शंकरलाल जैन, निवासी 287-बी, सेक्टर नंबर 9, सवीना मेन रोड़, उदयपुर (राज.)
14. सरकार जरिये तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोंडेन्टगण

उपस्थित :- 1. श्री कैलाश नागदा अभिभाषक अपीलान्ट

2. श्री रोशनलाल जैन अभिभाषक रे.सं. 9, 11 से 13



(2) प्रकरण संख्या 91 / 2024 (उदयपुर डिक्री)

1. श्रीमती बाबू बाई पुत्री स्वर्गीय ऊंकार जी मेनारिया पत्नी दाडमचन्द मेनारिया, निवासी चिरवा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती ईश्वरी बाई पुत्री स्वर्गीय ऊंकारलाल जी मेनारिया पत्नी कालूलाल मेनारिया, निवासी मादडी पानेरियान, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. छगनलाल पिता स्वर्गीय ऊंकारलाल जी मेनारिया, निवासी मादडी पानेरियान, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. धनलाल पिता स्वर्गीय उदयलाल जी मेनारिया, निवासी मादडी पानेरियान, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. कालूलाल पिता स्वर्गीय उदयलाल जी मेनारिया, निवासी मादडी पानेरियान, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
4. लक्ष्मीलाल पिता स्वर्गीय उदयलाल जी मेनारिया, निवासी मादडी पानेरियान, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती ललिता पत्नी स्वर्गीय उदयलाल जी मेनारिया, निवासी मादडी पानेरियान, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
6. श्रीमती दुर्गा बाई उर्फ गुड्डी पुत्री स्वर्गीय उदयलाल जी मेनारिया, निवासी मादडी पानेरियान, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
7. श्रीमती प्रतापी बाई पत्नी स्वर्गीय उदयलाल जी मेनारिया, निवासी मादडी पानेरियान, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (मृतक) के बजाय :-
- 7/1. श्रीमती दुर्गा बाई उर्फ गुड्डी पुत्री स्वर्गीय उदयलाल जी मेनारिया, निवासी 603, धोली मगरी, पानेरियों की मादडी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
8. दाडमचन्द पिता पूर्णाशंकर जी मेनारिया, निवासी चिरवा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
9. श्रीमती मीना जैन पत्नी कालूलाल जी जैन, निवासी 287-बी, सेक्टर नंबर 9, सवीना मेन रोड़, उदयपुर (राज.)
10. विनोद सुखवाला पिता रतनलाल जी सुखवाल, निवासी रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
11. अर्हम बिल्ड स्टेट प्रा.लि. जरिये डायरेक्टर कालूलाल जैन पुत्र स्वर्गीय शंकरलाल जी जैन, निवासी 13-बी, सबसिटी सेन्टर, उदयपुर (राज.)
12. दिलीप जैन पिता स्वर्गीय शंकरलाल जी जैन, निवासी सवीना मेन रोड़, उदयपुर (राज.)
13. कालूलाल जैन पिता स्वर्गीय शंकरलाल जैन, निवासी 287-बी, सेक्टर नंबर 9, सवीना मेन रोड़, उदयपुर (राज.)
14. सरकार जरिये तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

- उपस्थित :- 1. श्री मनीष शर्मा अभिभाषक अपीलान्तगण
2. श्री भावेश जैन अभिभाषक रे.सं. 9, 11 से 13

----/----


अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्तकारी अ.-1955 विरुद्ध निर्णय
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा
दिनांक 26.07.2024 प्र.सं. 504/19

-----::-----

निर्णय

दिनांक 20-05-2025

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में द्वितीय अपील संख्या 91/2024 के अपीलान्तगण श्रीमती बाबू बाई व श्रीमती ईश्वरी बाई द्वारा एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के संयुक्त खातेदारी, स्वत्व एवं आधिपत्य की मौरुसी कृषि भूमि मौजा गायरियावास, तहसील गिर्वा में स्थित हैं, जिसके साबिक आराजी नंबर 145 मीन, 146 मीन, 148, 150, 150 मीन, 152, 154, 155 होकर वर्तमान आराजी नंबर 229 से 238 कुल कित्ता 10 रकबा 1.3150 हैक्टर हैं। इसी प्रकार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के संयुक्त खातेदारी, स्वत्व एवं आधिपत्य की मौरुसी कृषि भूमि मौजा मादडी पानेरियान, तहसील गिर्वा के साबिक आराजी नंबर 761 मीन होकर हाल आराजी नंबर 896, 897 कुल कित्ता 2 रकबा 0.3600 हैक्टर हैं। उक्त आराजियात वादीगण के पिता ऊंकारलाल जो वादीगण के दादा के जीवनकाल में फोट हो जाने से अकेले छगनलाल व उदयलाल के नाम दर्ज हो गयी, जबकि उक्त भूमि में ऊंकारलाल के सभी वारिसान का समान हक व अधिकार निहित है। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 से 6 का सजरा निम्नानुसार है :-



इस प्रकार उपरोक्त कलम संख्या 2 व 4 में वर्णित विवादित आराजीयात वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 की मौरूसी होकर प्रत्येक वादीगण का 1/5 वां हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/5 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 से 6 का 1/5 वां हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 7 का 1/5 वां हिस्सा है, परन्तु राजस्व रेकार्ड में भूमि केवल छगनलाल व उदयलाल के नाम पर ही दर्ज हुई, जिसका नाजायज लाभ उठाकर प्रतिवादी संख्या 1 से 6 द्वारा भूमि प्रतिवादी संख्या 8 से 13 को विक्रय कर दी गयी है, जबकि विवादित आराजीयात मौरूसी होने से वादीगण का भी उक्त आराजीयात में 1/5, 1/5 हिस्सा जन्म से निहित है। उक्त विक्रय पत्र वादीगण के मुकाबले शून्य होकर एबइनिशियो वोर्ड है, जिसे वादीगण के हिस्से तक शून्य घोषित किया जाना आवश्यक होने से वादीगण द्वारा घोषणा का वाद प्रस्तुत किया गया है। अतः वाद पत्र की कलम संख्या 2 व 4 में वर्णित विवादित आराजीयात में वादीगण प्रत्येक को 1/5, 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

2. उक्त वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादी संख्या 1 छगनलाल द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया तथा निवेदन किया कि विवादित भूमि मूल पुरुष खेमराज जी के खातेदारी की थी, जिनकी मृत्यु सन् 1953 में होने से तत्कालीन प्रचलित हिन्दू विधि अनुसार मृतक के जायज वारिस उदयलाल व छगनलाल के नाम नामान्तरकरण तस्दीक हुआ है। ऊंकारलाल मृतक खेमराज का पुत्र था, जिसकी मृत्यु खातेदार खेमराज से पूर्व हो चुकी है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में आने के बाद वादीगण का कोई हक अधिकार नहीं बनता है। इस अधिनियम के प्रभाव में आने से पहले महिलाओं को केवल भरण पोषण का अधिकार प्राप्त था। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 द्वारा प्रतिवादी संख्या 8 से 13 के पक्ष में जो विक्रय निष्पादित किया गया है वह विधिक है। अतः वादीगण का वाद खारिज किया जावे।
3. प्रतिवादी संख्या 9, 11, 12, 13 द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित भूमि मूल पुरुष खेमराज जी के खातेदारी की थी, जिनकी मृत्यु सन् 1953 में होने से तत्कालीन प्रचलित हिन्दू विधि अनुसार मृतक

के जायज वारिस उदयलाल व छगनलाल के नाम नामान्तरकरण तस्दीक हुआ है। ऊंकारलाल मृतक खेमराज का पुत्र था, जिसकी मृत्यु खातेदार खेमराज से पूर्व हो चुकी है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में आने के बाद वादीगण का कोई हक अधिकार नहीं बनता है। इस अधिनियम के प्रभाव में आने से पहले महिलाओं को केवल भरण पोषण का अधिकार प्राप्त था। प्रतिवादी 9, 11, 12, 13 द्वारा विवादित आराजीयात रजिस्टर्ड विक्रय विलेख से क्रय की जाकर कब्जा प्राप्त किया गया है। अतः वादीगण का वाद खारिज किया जावे।

4. प्रतिवादी संख्या 2, 4, 5 ने भी उक्त जवाबदावे अनुसार ही खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया तथा निवेदन किया कि विवादित भूमि मूल पुरुष खेमराज जी के खातेदारी की थी, जिनकी मृत्यु सन् 1953 में होने से तत्कालीन प्रचलित हिन्दू विधि अनुसार मृतक के जायज वारिस उदयलाल व छगनलाल के नाम नामान्तरकरण तस्दीक हुआ है। ऊंकारलाल मृतक खेमराज का पुत्र था, जिसकी मृत्यु खातेदार खेमराज से पूर्व हो चुकी है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में आने के बाद वादीगण का कोई हक अधिकार नहीं बनता है। इस अधिनियम के प्रभाव में आने से पहले कोपार्सनर केवल पुरुष ही हो सकता है, महिलाओं को केवल भरण पोषण का अधिकार प्राप्त था। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 द्वारा प्रतिवादी संख्या 8 से 13 के पक्ष में जो विक्रय निष्पादित किया गया है वह विधिक है। अतः वादीगण का वाद खारिज किया जावे।

5. प्रतिवादी संख्या 7 ने भी खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया तथा निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि मौरूसी भूमि है जिसमें प्रतिवादी संख्या 7 का विधिक हक निहित है, क्योंकि प्रतिवादी संख्या 7 प्रतापी बाई मृतक ऊंकारलाल की विधवा पत्नी है तथा विवादित भूमि में उसका 2/6 हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 की नीयत खराब हो जाने से उनके द्वारा कथित विक्रय किये गये हैं। वादीगण का उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा निहित नहीं है। अतः वादीगण का वाद खारिज किया जावे।

उक्त जवाबदावा के साथ काउण्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खेमराज का स्वर्गवास होने पर उनकी सम्पत्ति उनके विधिक प्रतिनिधियों में निहित हो जाती है, तो इस प्रकार एक हिस्सा ऊंकारलाल

को प्राप्त होता है एवं बकाया हिस्से अलग-अलग प्रदान किये जाते हैं तो प्रस्तुत सजरे अनुसार केवल 6 हिस्से होते हैं, 6 में से 2 हिस्से प्रतिवादी संख्या 7 प्रतापी बाई को प्रदान किया जाना आवश्यक है। अतः काउण्टर क्लेम स्वीकार कर प्रतिदावे की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 7 को 2/6 हिस्से अर्थात् 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर वादीगण एवं अन्य प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

6. प्रतिवादी संख्या 3 ने खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया तथा निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि मौरूसी भूमि है जिसमें प्रतिवादी संख्या 7 का विधिक हक निहित है, क्योंकि प्रतिवादी संख्या 7 प्रतापी बाई मृतक ऊंकारलाल की विधवा पत्नी है तथा विवादित भूमि में उसका 2/6 हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 की नीयत खराब हो जाने से उनके द्वारा कथित विक्रय किये गये हैं। वादीगण का उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा निहित नहीं है। वादीगण ने जानबूझकर प्रतिवादी संख्या 7 के हिस्से को इंकार किया है, जबकि प्रतिवादी संख्या 3 के हिस्से की साथ ही प्रतिवादी संख्या 7 का हिस्सा भी निहित है। प्रतिवादी संख्या 3 के जो हक अधिकार थे वह प्रतिवादी संख्या 8 में निहित हो चुके हैं, क्योंकि प्रतिवादी संख्या 3 ने सम्पूर्ण हिस्सा प्रतिवादी संख्या 8 को विक्रय कर दिया है। अतः प्रतिवादी संख्या 3 के खाते की भूमि प्रतिवादी संख्या 8 के खाते करायी जावे।
7. प्रतिवादी संख्या 8 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि मौरूसी भूमि है जिसमें प्रतिवादी संख्या 7 का विधिक हक निहित है, क्योंकि प्रतिवादी संख्या 7 प्रतापी बाई मृतक ऊंकारलाल की विधवा पत्नी है तथा विवादित भूमि में उसका 2/6 हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 की नीयत खराब हो जाने से उनके द्वारा कथित विक्रय किये गये हैं। वादीगण का उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा निहित नहीं है। प्रतिवादी संख्या 3 ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा प्रतिवादी संख्या 8 को विक्रय कर दिया है, जिस पर कब्जा प्रतिवादी संख्या 8 का चला आ रहा है। अतः प्रतिवादी संख्या 3 के खाते की भूमि प्रतिवादी संख्या 8 के खाते करायी जावे।

8. अधीनस्थ न्यायालय ने प्लीडिंग्स के आधार पर प्रकरण में निम्न 5 तनकियां कायम की :-

1. आया वादग्रस्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 7 की मौरूसी थी और मूल पुरुष कर्ता खानदान स्वर्गीय खेमराज मेनारिया के खाते दर्ज थी ? वादीगण
2. आया स्वर्गीय श्री खेमराज के स्वर्गवास होने के बाद उनके विधिक वारिसान वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 7 का हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्य होने से उल्लेखित हक व हिस्से के माफिक काबिज हुए हैं ? वादीगण
3. आया खेमराज का स्वर्गवास सन 1953 में हो जाने से वादीगण का वादग्रस्त भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं बनता है ? प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4, 5, 9, 11, 12, 13
4. आया वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 7 प्रतापीबाई स्वर्गीय ऊंकार की विधवा पत्नि होने से वादग्रस्त भूमि में 1/3 हिस्सा निहित हुआ है जो बाद में चलकर पूर्ण अधिकार से विधिक प्रभाव से प्रतिवादी संख्या 7 का 1/3 हक व हिस्से की घोषणा कराने का अधिकारी है ?प्रतिवादी संख्या 7
5. अनुतोष ?

9. अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारों की साक्ष्य लेकर एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनकर दिनांक 26-07-2024 को तनकीवार विवेचन करते हुए वादीगण का वाद एवं प्रतिवादी संख्या 7 श्रीमती प्रतापीबाई मृतक के बजाय श्रीमती गुड्डी उर्फ दुर्गाबाई का काउण्टर क्लेम खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर प्रथम अपील संख्या 83/2024 प्रतिवादी संख्या 7 श्रीमती गुड्डी उर्फ दुर्गाबाई द्वारा तथा द्वितीय अपील संख्या 91/2024 वादीगण श्रीमती बाबुबाई व श्रीमती ईश्वरीबाई द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी हैं।

10. उक्त दोनों अपीलें दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर उनके अधिवक्तागण उपस्थित हुए। अपीलान्त तथा रेस्पोंडेन्ट संख्या 9, 11, 12, 13 की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की

गयी, जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

11. उक्त दोनों अपीलें अधीनस्थ न्यायालय के एक ही प्रकरण संख्या 504/2019 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26-07-2024 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। अपील संख्या 83/2024 प्रतिवादी संख्या 6 श्रीमती दुर्गा बाई उर्फ गुड्डी द्वारा प्रस्तुत की गयी है, जिसे आगे हम प्रथम अपील के नाम से संबोधित करेंगे तथा अपील संख्या 91/2024 वादीगण श्रीमती बाबू बाई व श्रीमती ईश्वरी बाई द्वारा प्रस्तुत की गयी हैं, जिसे हम द्वितीय अपील के नाम से संबोधित करेंगे। दोनों ही अपीलों में विवादित आराजियात व पक्षकारान समान होने एवं अधीनस्थ न्यायालय के एक ही निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत होने से दोनों अपीलों का एक ही निर्णय लिखाया जा रहा है। निर्णय की एक-एक प्रति संबंधित पत्रावली पर रखी जावे।
12. प्रथम अपील संख्या 83/2024 के विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि "दौराने वाद प्रतिवादी संख्या 7 प्रतापी बाई का स्वर्गवास हो जाने से प्रतापी बाई की वसीयत के आधार पर श्रीमती गुड्डी उर्फ दुर्गा देवी का नाम प्रतिवादी संख्या 7 के रूप में प्रतिस्थापित किया गया एवं वसीयत को रेकार्ड पर रखा गया। इसके बाद दुर्गा देवी डी.डब्ल्यू. 1 के रूप में उसके बयान करवाये गये तथा प्रदर्श कराया गया, फिर भी वसीयत पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 11 से 13 द्वारा कोई जिरह नहीं की गयी है। वसीयत के गवाह डी.डब्ल्यू. 2 शिव शंकर मेनारिया के बयान करवाये गये, जिससे वसीयत के आधार पर दुर्गा देवी खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय का यह मानना कि गुड्डी उर्फ दुर्गा ने अपना 1/5 हिस्सा एवं वाद में विचाराधीन सम्पूर्ण भूमि में 1/10 हिस्सा मानकर मीना जैन को विक्रय कर दिया है, जो प्रदर्श डी-13 है। अपीलान्ट गुड्डी उर्फ दुर्गा इस वाद में प्रतिवादी संख्या 7 श्रीमती प्रतापी बाई द्वारा अपना हिस्सा जो अपीलान्ट गुड्डी उर्फ दुर्गा को वसीयत किया गया है, उसे क्लेम कर रही है। मीना जैन को जो हिस्सा विक्रय किया वह पिता द्वारा प्राप्त हिस्से का विक्रय था। प्रतिवादी संख्या 7 प्रतापी बाई

द्वारा शिव शंकर मेनारिया को पॉवर ऑफ एटोर्नी अवश्य दी गयी, किन्तु वह प्रतिवादी संख्या 7 प्रतापी बाई की मृत्यु हो जाने से स्वतः ही समाप्त हो गयी थी। वसीयत पंजीकृत है इसके फर्जी होने का कोई अंदेशा नहीं है तथा वसीयत के गवाह शिव शंकर के बयान भी अधीनस्थ न्यायालय ने करवाये, किन्तु अपने निर्णय में वसीयत के बारे में एक शब्द नहीं लिखा। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे तथा प्रतिवादी संख्या 7 प्रतापी बाई का काउण्टर क्लेम डिक्री फरमाया जावे।” अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 (1), सी.पी.सी. के आदेश 6 नियम 15, ए.आई.आर. 2019 गुवाहाटी पेज 92, ए.आई.आर. 1978 सुप्रीम कोर्ट पेज 1239, ए.आई.आर. 2006 सुप्रीम कोर्ट पेज 3332, सी.एल.जे. 2007 (2) पेज 857, ए.आई.आर. 2019 सुप्रीम कोर्ट पेज 3098, आर.आर.टी. 2014-15 पेज 596 से 599, आर.आर.टी. 2024 (1) पेज 207, आर.आर.टी. 2024 (1) पेज 625, आर.आर.टी. 2024 (1) पेज 254, ए.आई.आर. 2023 सुप्रीम कोर्ट पेज 4707 प्रस्तुत की।

13. द्वितीय अपील संख्या 91/2024 के विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों एवं लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि “विवादित आराजीयात अपीलान्ट/वादीगण के दादा श्री खेमराज जी के समय की होकर खेमराज की मृत्यु पश्चात उनके पुत्र ऊंकारलाल को प्राप्त हुई तथा ऊंकारलाल के स्वर्गवास के पश्चात उसकी पत्नी प्रतापीबाई पुत्रियां अपीलान्ट/वादीगण व पुत्र छगललाल व उदयलाल के नाम दर्ज होनी चाहिए थी, परन्तु ऊंकारलाल जी के स्वर्गवास के बाद छगनलाल व उदयलाल ने अकेले अपने नाम पर दर्ज करवा ली, जिससे उक्त आराजीयात में अपीलान्ट/वादीगण प्रत्येक को 1/4, 1/4 हिस्से की घोषणा की जानी आवश्यक है। प्रतिवादी संख्या 3 कालूलाल ने भी विवादित भूमि को मौरूसी होने का कथन करते हुए अपना हिस्सा प्रतिवादी संख्या 8 को विक्रय किये जाने का कथन किया है। शेष रैस्पोंडेन्ट संख्या 1, 2, 4, 5, 6 ने जवाब प्रस्तुत नहीं किया व रैस्पोंडेन्ट संख्या 9 से 13 द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर प्रतिवाद प्रस्तुत किया एवं कथन किया कि खेमराज की मृत्यु हिन्दू उत्तराधिकार

अधिनियम 1956 के प्रभाव में आने से पूर्व 1953 में हो चुकी थी, जबकि बन्धक पत्र दिनांक 22-03-1954 जो ऊंकारलाल जी द्वारा निष्पादित किया गया है, उसके अनुसार ऊंकारलाल जी मृत्यु 1953 में नहीं हुई थी तथा सन् 1956 तक ऊंकारलाल जी जीवित थे। स्वयं प्रतिवादी ने अपने बयानों में स्वीकार किया है कि ऊंकारलाल जी की मृत्यु सन 1953 में होने की उनके पास कोई साक्ष्य नहीं है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त बन्धक पत्र के विपरीत जाकर निर्णय पारित करने में भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय में जो वसीयत रेस्पोंडेन्ट संख्या 6 द्वारा प्रस्तुत की गयी है, वह अंतिम वसीयत नहीं है। उक्त वसीयत के पश्चात् श्रीमती प्रतापीबाई ने एक अंतिम इच्छा पत्र दिनांक 21-07-2016 को अपीलान्त बाबू बाई व ईश्वरी बाई के पक्ष में निष्पादित किया, जिसके आधार पर अपीलान्त/वादीगण बाबू बाई व ईश्वरी बाई प्रतिवादी संख्या 7 प्रतापीबाई की विधिक वारिस व वसीयतग्रहिता होने से वसीयत के आधार पर प्रतापीबाई के हिस्से की घोषणा अपीलान्त बाबू बाई व ईश्वरी बाई के पक्ष में की जानी आवश्यक है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे तथा अपीलान्तगण का वाद डिक्री फरमाया जावे।" अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें आर.आर.टी. 2020 (2) पेज 998, आर.आर.टी. 2018 (2) पेज 976, डी.एन.जे. 2014 (सुप्रिम कोर्ट) पेज 228, सिविल जे 2005 (3) पेज 151 की ओर ध्यान का ध्यान आकृष्ट किया।

14. उक्त बहस का खण्डन करने हुए अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट 9, 11, 12, 13 ने अपनी लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि "मूल पुरुष खेमराज की मृत्यु हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 से पूर्व हो चुकी थी तथा उसके पुत्र ऊंकारलाल की मृत्यु तो खेमराज से पूर्व ही हो चुकी थी। उस समय महिलाओं को सिर्फ भरण पोषण का ही अधिकार प्राप्त था। इस प्रकार खेमराज की मृत्यु पर उसके दो पौत्र उदयलाल व छगनलाल के नाम जो भूमि दर्ज हुई वह विधि अनुकूल है। अपीलान्त/वादीगण बाबू बाई व ईश्वरी बाई ने अपने वाद में अपनी माता प्रतापी बाई का 1/5 हिस्सा होना बताया है, जबकि स्वयं प्रतापी बाई ने जवाबदावे व काउण्टर क्लेम में अपना 2/6 हिस्सा होने

का कथन किया है अर्थात् 1/3 हिस्सा होना बताया है। वादीगण एवं उनकी माता प्रतापी बाई के विरोधाभाषी कथनों के आधार पर अपील खारिज योग्य है। रेस्पॉन्डेन्ट/प्रतिवादी संख्या 3 कालूलाल व अपीलान्तगण आपस में मिले हुए हैं। कालूलाल जो स्वर्गीय उदयलाल का पुत्र है, उदयलाल का विवादित भूमि में 1/2 हिस्सा होने से तथा उदयलाल के कुल 5 वारिस रेस्पॉन्डेन्ट संख्या 2 से 6 होने से प्रत्येक का 1/10, 1/10 हिस्सा है। रेस्पॉन्डेन्ट संख्या 3 कालूलाल ने अपना 1/10 हिस्सा वादीया/अपीलान्त बाबुबाई के पति दाड़मचन्द को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09-12-2009 से विक्रय कर दिया है, जो प्रदर्श 1/Ex-13F है। विक्रय करते समय अपने दोनों बुआ वादीगण व दादी प्रतापीबाई प्रतिवादी संख्या 7 का कोई हिस्सा स्वीकार नहीं किया है, किन्तु इसके विपरीत वादीगण बाबू बाई व ईश्वरी बाई एवं अपनी दादी से मिलीभगत कर अपनी दादी प्रतापीबाई के काउण्टर क्लेम को स्वीकार कर प्रतापीबाई के 2/6 अर्थात् 1/3 हिस्से की घोषणा की प्रार्थना कर रहे हैं।

इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 6 श्रीमती गुड्डी उर्फ दुर्गा ने भी अपना 1/10 हिस्सा श्रीमती मीना जैन को विक्रय कर दिया है। इसी तरह राजस्व ग्राम गायरियावास में अपने पिता उदयलाल के 1/2 हिस्से में से प्राप्त 1/10 हिस्से को श्रीमती गुड्डी उर्फ दुर्गा ने अपने पति शिवशंकर को दान पत्र दिनांक 05-06-2008 को कर दिया एवं शिवशंकर ने प्रतिवादी संख्या 10 विनोद सुखवाल को दिनांक 13-08-2009 को विक्रय कर दी। तत्पश्चात् विनोद सुखवाल ने दिनांक 20-10-2009 को प्रतिवादी संख्या 13 कालूलाल जैन को विक्रय कर दी। इस प्रकार स्पष्ट है कि स्वयं प्रतिवादी संख्या 3 कालूलाल एवं प्रतिवादी संख्या 6 श्रीमती गुड्डी उर्फ दुर्गा ने अपने पिता उदयलाल से प्राप्त 1/10, 1/10 हिस्से की भूमि विक्रय करते समय अपनी बुआ वादीगण बाबू बाई व ईश्वरी बाई एवं अपनी दादी प्रतापीबाई प्रतिवादी संख्या 7 का हिस्सा होना स्वीकार नहीं किया है, परन्तु प्रतिवादी संख्या 9, 11, 12, 13 को भूमि विक्रय करने के पश्चात् वापस छीनने की गर्ज से वादीगण बाबू बाई व ईश्वरी बाई ने वाद व प्रतिवादी संख्या 7 प्रतापी

बाई ने काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया है, जो आपस में विराधाभाषी होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण बाबू बाई व ईश्वरी बाई के वाद व प्रतिवादी संख्या 7 प्रतापी बाई के काउण्टर क्लेम को खारिज किया गया है, जो विधि सम्मत है। वादीगण बाबू बाई व ईश्वरी बाई ने अपने वाद में दिनांक 22-03-1954 को निष्पादित रहननामे के आधार पर अपने दादा खेमराज की मृत्यु सन 1953 में नहीं होने का कथन किया है, परन्तु अपने बयानों में उनकी मृत्यु कब हुई ज्ञात नहीं होने का कथन किया है। नामान्तरकरण संख्या 84 संवत् 2031 में खेमराज की मृत्यु 22 वर्ष पूर्व होने का अंकन है, अर्थात् संवत् 2010 से सन् 1954-55 तक खेमराज की मृत्यु होना प्रकट होता है, जो प्रदर्श 3/Ex-D-13 है। उत्तरदाता रेस्पोंडेन्टगण ने प्रतिफल राशि चुकाकर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से भूमि क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है। वादीगण ने ग्राम गाडरियावास की साबिक आराजी नंबर 145 मीन व 146 मीन जो जमाबन्दी संवत् 2023 से 2026 में नाथूराम पिता गोविन्दराम ब्राहमण के खाते दर्ज है, नामान्तरकरण संख्या 110 दिनांक 25-03-1977 से उदयलाल व छगनलाल के नाम दर्ज हुई, जिससे स्पष्ट है कि उक्त साबिक आराजी नंबर से बने हाल आराजी नंबर 229, 230, 231 व 232 पैत्रिक भूमि खेमराज अथवा उनके पुत्र ऊंकारलाल की नहीं है, फिर भी वादीगण द्वारा उसे दावे में सम्मिलित कर लिया गया है।

इसी प्रकार साबिक आराजी नंबर 149 के मूल पुरुष खेमराज के खाते दर्ज नहीं होकर जमाबन्दी संवत् 2023 से 2026 में उदयलाल व छगनलाल के नाम दर्ज है, जिसके हाल आराजी नंबर 233 रकबा 0.3300 हैक्टर है। इसी प्रकार साबिक आराजी नंबर 152 मीन के मिलान क्षेत्रफल अनुसार हाल आराजी नंबर 239 बना है, जिसे वाद पत्र में शामिल नहीं किया गया है। इसी तरह साबिक आराजी नंबर 151 मीन से मिलान क्षेत्रफल अनुसार नया नंबर 242 बना तथा साबिक आराजी नंबर 153 से हाल आराजी नंबर 243 बना है, जो मूल पुरुष खेमराज के खाते दर्ज है, फिर भी इसे दावे में शामिल नहीं किया गया है तथा इस भूमि को प्रतिवादी संख्या 2 से 5 द्वारा कालू पिता रामा सालवी, जोधसिंह पिता धूलसिंह को विक्रय कर देने से नामान्तरकरण संख्या 481 दिनांक

26-04-1999 स्वीकृत हुआ है। इसी प्रकार आराजी नंबर 242 को भैरूलाल कलाल व नानालाल मीणा को विक्रय किया गया है, परन्तु इस भूमि को वाद पत्र में शामिल नहीं किया गया है तथा केवल उत्तरदाता को प्रतिवादीगण बनाकर वाद प्रस्तुत किया है, जो दावा एवं अपील चलाने योग्य नहीं है। वादीगण ने अपने वाद में अपनी माता प्रतापी बाई का 1/5 हिस्सा होने का कथन किया है, जबकि अपील में प्रतापी बाई का 1/3 हिस्सा होने का कथन कर रहे हैं, जो विरोधाभाषी कथनों के आधार पर खारिज योग्य है।

विवादित भूमि उदयलाल एवं छगनलाल के नाम 1/2, 1/2 हिस्से अनुसार दर्ज है एवं मृतक उदयलाल के पाँच वारिस होने से प्रत्येक वारिस का 1/10, 1/10 हिस्सा मानते हुए प्रतिवादी संख्या 3 कालूलाल एवं अपीलान्त/प्रतिवादी संख्या 6 श्रीमती गुड्डी उर्फ दुर्गा ने रजिस्ट्री करायी है, जबकि प्रतापी बाई का इस भूमि में 1/3 हिस्सा मानने की अवस्था में उदयलाल व छगनलाल का भी 1/3, 1/3 हिस्सा ही होगा, जिससे उदयलाल के 5 वारिस होने से प्रत्येक का 1/15, 1/15 हिस्सा ही होगा। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या 3 कालूलाल एवं अपीलान्त/प्रतिवादी संख्या 6 श्रीमती गुड्डी उर्फ दुर्गा के कथन विरोधाभाषी एवं आधारहीन होने से अपील खारिज योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर तनकीवार विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत होने से दोनों अपीलें खारिज की जावे।

15. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। प्रदर्श 1 जमाबन्दी संवत् 2019 से 2022 में साबिक आराजी नंबर 150 से 155 कित्ता 6 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा भूमि खेमा वल्द मोती ब्राहमण के नाम अंकित है तथा जमाबन्दी संवत् 2023 से 2026 प्रदर्श 2 में भी साबिक आराजी नंबर 150 से 155 कित्ता 6 रकबा 4 बीघा 7 भूमि खेमा वल्द मोती ब्राहमण के नाम अंकित है, जबकि साबिक आराजी नंबर 145 व 146 कुल कित्ता 2 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा भूमि नाथूराम पिता गोविन्दराम ब्राहमण के नाम दर्ज है। प्रदर्श 3 में साबिक आराजी नंबर 150 से 155 कित्ता 6 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा भूमि खेमा वल्द मोती ब्राहमण के नाम अंकित होकर जरिये नामान्तरकरण संख्या 84

दिनांक 23-11-1975 से उदयलाल, छगनलाल पिता ऊंकार के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई है। प्रदर्श 4 में साबिक आराजी नंबर 145 व 146 कुल किता 2 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा भूमि नाथूराम वल्द गोविन्दराम ब्राहमण के नाम दर्ज है। प्रदर्श 5 जमाबन्दी संवत् 2065 से 2068 में हाल आराजी नंबर 232 से 238 कुल किता 7 रकबा 1.1150 हैक्टर भूमि कालूलाल, लक्ष्मीलाल, धनलाल पिता उदयलाल ललिता बाई बेवा उदयलाल 4/10, शिवशंकर पिता ऊंकारलाल 1/10, कालूलाल जैन व दिलीप जैन पिता शंकरलाल जैन 1/2 हि.ब. दर्ज है तथा बिकाव से शिवशंकर के बजाय विनोद सुखवाल 1/10 हिस्सा नामान्तरकरण संख्या 804 दिनांक 21-01-2010 से दर्ज करने की स्वीकृति हुई है। इसी प्रकार नामान्तरकरण संख्या 796 दिनांक 29-10-2009 बिकाव से लक्ष्मीलाल, धनलाल पिता उदयलाल, ललिता बेवा उदयलाल 3/10 हिस्सा के बजाय आराजी नंबर 232 से 238 कुल किता 6 रकबा 1.0450 हैक्टर भूमि अर्हम बिल्ड स्टेट जरिये डायरेक्टर कालूलाल जैन के नाम 3/10 हिस्सा दर्ज करने की स्वीकृति हुई है तथा नामान्तरकरण संख्या 3 दिनांक 21-01-2010 से बिकाव से कालूलाल पिता उदयलाल का 1/10 हिस्सा दाडमचन्द पिता पूर्णाशंकर मेनारिया के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई है। उक्त समस्त विक्रय पत्र दावा दायरी दिनांक 10-06-2010 के पूर्व के हैं।

इसी जमाबन्दी प्रदर्श 5 में हाल आराजी नंबर 229 से 231 कुल किता 3 रकबा 0.2000 हैक्टर कालूलाल, लक्ष्मीलाल, धनलाल पिता उदयलाल ललिता बाई बेवा उदयलाल 4/10, शिवशंकर पिता ऊंकारलाल 1/10, छगनलाल पिता ऊंकार 1/2 दर्ज है तथा बिकाव से आराजी नंबर 230 रकबा 0.0600 एवं आराजी नंबर 231 रकबा 0.1000 हैक्टर की 1/10 शिवशंकर के बजाय विनोद सुखवाल मे नाम नामान्तरकरण संख्या 804 दिनांक 21-01-2010 से दर्ज करने की स्वीकृति हुई है। इसी प्रकार नामान्तरकरण संख्या 803 दिनांक 21-03-2010 बिकाव से कालूलाल पिता उदयलाल आराजी नंबर 231 रकबा 0.1000 हैक्टर में 1/10 हिस्सा के बजाय दाडमचन्द पिता पूर्णाशंकर के नाम 1/10 हिस्सा दर्ज करने की स्वीकृति हुई है। प्रदर्श 6

जमाबन्दी संवत् 2065 से 2068 में आराजी नंबर 232 से 238 कुल किता 7 रकबा 1.1150 हैक्टर कालूलाल पिता उदयलाल ब्राहमण 1/10 हिस्सा बकाया अंकन बदस्तूर दर्ज होकर नामान्तरकरण संख्या 803 दिनांक 21-01-2010 से कालूलाल पिता उदयलाल के बजाय दाडमचन्द पिता पूर्णाशंकर के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई है। प्रदर्श 7 में आराजी नंबर 231 रकबा 0.1000 हैक्टर कालूलाल पिता उदयलाल 1/10 हिस्सा बकाया अंकन बदस्तूर के बजाय नामान्तरकरण संख्या 803 दिनांक 21-01-2010 से दाडमचन्द पिता पूर्णाशंकर के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई है। प्रदर्श 8 जमाबन्दी संख्या 2064 से 2067 में हाल आराजी नंबर 896 व 897 कुल किता 2 रकबा 0.3600 हैक्टर भूमि कालूलाल, लक्ष्मीलाल, धनलाल, गुड्डी उर्फ दुर्गा पिता उदयलाल ललिता बाई बेवा उदयलाल 1/2, मीना जैन पत्नी कालूलाल जैन 1/2 दर्ज है।

प्रदर्श ए1 तहसीलदार गिर्वा के आदेश दिनांक 23-06-2006 के विरुद्ध उपखण्ड अधिकारी गिर्वा द्वारा पारित निर्णय है, जिसमें उपखण्ड अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 02-06-2008 से अपीलान्त धनलाल की अपील स्वीकार कर उदयलाल के वारिसों में प्रतापीबाई का नाम जोड़े जाने हेतु प्रकरण तहसीलदार गिर्वा को रिमाण्ड किया है। प्रदर्श ए2ए दिनांक 22-03-1954 की लिखतम है, जो खेमराज पिता मोती डांगी द्वारा निष्पादित की गयी, इससे स्पष्ट होता है कि दिनांक 22-03-1954 तक खेमराज जीवित था, किन्तु उनकी मृत्यु कब हुई इस बाबत कोई दस्तावेज पत्रावली के रेकार्ड पर उपलब्ध नहीं है। प्रदर्श ए3 न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त उदयपुर का निर्णय दिनांक 25-10-2008 है, जिसके अनुसार छगनलाल द्वारा उपखण्ड अधिकारी गिर्वा के निर्णय दिनांक 02-06-2008 को निरस्त करने निवेदन किये जाने पर अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त उदयपुर द्वारा पक्षकारों के मध्य उपखण्ड अधिकारी गिर्वा के न्यायालय में मूलवाद संख्या 06/2007 विचाराधीन होने से उक्त वाद के अंतिम निर्णय तक पक्षकारों को रहन/विक्रय आदि से पाबन्द किया गया है। प्रदर्श ए4 उपखण्ड अधिकारी गिर्वा के वाद संख्या 96/2007 की आदेशिका है, जिसके अनुसार धनलाल द्वारा छगनलाल के विरुद्ध प्रस्तुत उक्त घोषणा के वाद को दिनांक 03-10-2008 को विद्रो

के आधार पर खारिज किया गया है। प्रदर्श ए5 धनलाल द्वारा छगनलाल व अन्य के विरुद्ध प्रस्तुत घोषणा, विभाजन, स्थायी निषेधाज्ञा एवं इन्द्राज दुरस्ती का वाद पत्र है, जिसके अनुसार मौजा गायरियावास की आराजी नंबर 896, 897, 229 से 238 कुल किता 12 रकबा 1.6750 हैक्टर भूमि बाबत् वादी धनलाल द्वारा हक हिस्से अनुसार घोषणा एवं विभाजन किये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रदर्श डी.1 श्रीमती प्रतापीबाई द्वारा श्रीमती बाबूबाई, श्रीमती ईश्वरी बाई व श्रीमती गुड्डी उर्फ दुर्गा के पक्ष में निष्पादित अंतिम इच्छा पत्र है, जिसके अनुसार श्रीमती प्रतापी बाई द्वारा मौजा गायरियावास की आराजी नंबर 229 से 238 कुल किता 10 रकबा 1.3150 हैक्टर एवं मौजा मादडी पानेरियान की आराजी नंबर 896, 897 कुल किता 2 रकबा 0.3600 हैक्टर में अपना 1/3 हिस्सा मानते हुए उसकी रजिस्ट्री दिनांक 23-12-2014 को श्रीमती बाबूबाई, श्रीमती ईश्वरी बाई व श्रीमती गुड्डी उर्फ दुर्गा के पक्ष करायी गयी है। प्रदर्श डी.13 नामान्तरकरण संख्या 284 दिनांक 23-11-1975 है, जिसमें खेमा पिता मोती के नाम दर्ज आराजीयात किता 6 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा का नामान्तरकरण उसके पौत्र उदयलाल व छगनलाल के पक्ष में स्वीकृत किया गया है तथा इस नामान्तरकरण में यह भी अंकित किया गया है कि खेमा की मृत्यु लगभग 22 वर्ष पूर्व हो चुकी है तथा उसके एक मात्र पुत्र ऊंकार की मृत्यु उसके 6 माह पहले हो चुकी है, जिसके जाईन्दा दो लड़के उदयलाल व छगनलाल हैं। इस नामान्तरकरण जो दिनांक 23-11-1975 को स्वीकृत किया गया है, उसके अनुसार वादीगण बाबू बाई व ईश्वरी वाई के दादा खेमा की मृत्यु सन् 1953 में होना प्रकट होता है, हालांकि खेमा की मृत्यु का कोई प्रमाणित दस्तावेज पत्रावली के रेकार्ड पर उपलब्ध नहीं है।

मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श डी.6 अनुसार साबिक आराजी नंबर 145 मीन रकबा 11 बिस्वा से हाल आराजी नंबर 229 व 230 एवं साबिक आराजी नंबर 146 मीन रकबा 16 बिस्वा से हाल आराजी नंबर 231 व 232 बनना प्रकट होता है। जमाबन्दी संवत् 2023 से 2026 प्रदर्श डी.1 अनुसार उक्त साबिक आराजी नंबर 145 रकबा 11 बिस्वा एवं आराजी नंबर 146 रकबा 16 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा भूमि

नाथूराम पिता गोविन्दराम ब्राह्मण के खातेदारी में दर्ज है, जबकि वादीगण ने अपने वाद में उक्त साबिक आराजी नंबरों बने हाल आराजी नंबर 229, 230, 231, 232 को भी खेमराज की बताते हुए वाद में सम्मिलित किया है, जबकि साबिक आराजी नंबर 145 व 146 खेमराज के खाते में कभी भी दर्ज नहीं रहे हैं। जबकि प्रदर्श डी.10 जमाबन्दी सेटलमेन्ट डिपार्टमेन्ट संवत् 2010 में साबिक आराजी नंबर 761, 2169 से 2173, 2239, 2244 से 2246, 2266, 2267 कुल कित्ता 12 रकबा 11 बीघा 9 बिस्वा भूमि वादीगण बाबू बाई व ईश्वरी बाई के दादा खेमा वल्द मोती के खुदकाशत में दर्ज है, जिसे वादीगण ने अपने वाद में शामिल नहीं किया है।

प्रदर्श डी13ए अनुसार छगनलाल द्वारा मौजा पानेरियों की मादडी स्थित आराजी नंबर 896 व 897 कुल कित्ता 2 रकबा 0.3600 हैक्टर में से अपने 1/2 हिस्से का रजिस्टर्ड विक्रय श्रीमती मीना जैन के पक्ष में दिनांक 15-04-2004 को किया गया है। प्रदर्श डी13बी अनुसार छगनलाल द्वारा मौजा गाडरियावास स्थित आराजी नंबर 232 से 238 एवं 243 कुल कित्ता 8 रकबा 1.3050 हैक्टर में से अपने 1/2 हिस्से का रजिस्टर्ड विक्रय श्रीमती श्री कालूलाल जैन एवं श्री दिलीप जैन के पक्ष में दिनांक 31-03-2008 को किया गया है। प्रदर्श डी13सी अनुसार शिवशंकर द्वारा मौजा गाडरियावास स्थित आराजी नंबर 230 से 238 कुल कित्ता 9 रकबा 1.2750 हैक्टर में से अपने 1/10 हिस्से का रजिस्टर्ड विक्रय श्रीमती श्री विनोद सुखवाल के पक्ष में दिनांक 13-08-2009 को किया गया है। प्रदर्श डी13डी अनुसार श्रीमती गुड्डी उर्फ दुर्गा द्वारा मौजा पानेरियों की मादडी स्थित आराजी नंबर 896 व 897 कुल कित्ता 2 रकबा 0.3600 हैक्टर में से अपने 1/10 हिस्से का रजिस्टर्ड विक्रय श्रीमती श्रीमती मीना जैन के पक्ष में दिनांक 22-09-2009 को किया गया है, जिसका नामान्तरकरण संख्या 3069 दिनांक 23-04-2010 को क्रेता श्रीमती मीना जैन के नाम स्वीकृत हो चुका है, जो न्यायालय हाजा में रेस्पोंडेन्ट द्वारा प्रस्तुत उक्त नामान्तरकरण के अवलोकन से स्पष्ट है। प्रदर्श डी13ई अनुसार श्रीमती ललिता बेवा उदयलाल एवं लक्ष्मीलाल, धनलाल पिता उदयलाल द्वारा मौजा गाडरियावास स्थित आराजी नंबर

232 से 236 एवं 238 में अपने सम्पूर्ण हिस्से का रजिस्टर्ड विक्रय अर्हम बिल्ड स्टेट प्रा.लि. जरिये डायरेक्टर श्री कालूलाल जैन के पक्ष में दिनांक 26-10-2009 को किया गया है। प्रदर्श डी13एफ कालूलाल पिता उदयलाल द्वारा मौजा गाडरियावास स्थित आराजी नंबर 231 से 238 कुल किता 8 रकबा 1.2050 हैक्टर में से अपने 1/10 हिस्से का रजिस्टर्ड विक्रय श्री दाडमचन्द पिता पूर्णाशंकर जैन के पक्ष में दिनांक 09-12-2009 को किया गया है। प्रदर्श डी13जी अनुसार श्री विनोद सुखवाल द्वारा मौजा गाडरियावास स्थित आराजी नंबर 230 से 238 कुल किता 9 रकबा 1.2750 हैक्टर में से अपने 1/10 हिस्से का रजिस्टर्ड विक्रय कालूलाल जैन के पक्ष में दिनांक 20-04-2010 को निष्पादित किया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श ए6ए अधिकार पत्र है, जो श्रीमती प्रतापीबाई द्वारा शिवशंकर पिता ऊंकारलाल के पक्ष में दिनांक 07-10-2015 को निष्पादित किया गया है। पत्रावली पर दिनांक 20-09-2016 का एक मुख्तियारनामा आम संलग्न है, जिसके अनुसार श्रीमती ललिता द्वारा अपनी पुत्री श्रीमती गुड्डी उर्फ दुर्गा के पक्ष में राजस्व ग्राम मादडी पानेरियान की आराजी नंबर 896 व 897 कुल किता 2 रकबा 0.3600 हैक्टर में से अपने 1/10 हिस्से एवं राजस्व ग्राम गाडरियावास स्थित आराजी नंबर 231 रकबा 0.1000 में से अपने 1/10 हिस्से का मुख्तियारनामा आम निष्पादित किया गया है तथा प्रदर्श डी.14 अनुसार मुख्तियार आम श्रीमती गुड्डी उर्फ दुर्गा द्वारा स्वयं के पक्ष आराजी नंबर 231 रकबा 0.1000 हैक्टर में से 1/10 हिस्से का रजिस्टर्ड क्य दिनांक 03-03-2016 को किया गया है।

उपरोक्त समस्त दस्तावेजों के अवलोकन निम्न विचारणीय बिन्दु प्रकट होते हैं :-

1. वादीगण बाबू बाई व ईश्वरी बाई अर्थात अपील संख्या 91/2024 के अपीलान्तगण के दादा खेमराज की मृत्यु किस वर्ष व किस दिनांक को हुई इस बाबत् कोई दस्तावेज अपीलान्त/वादीगण द्वारा न तो अधीनस्थ न्यायालय में एवं न ही इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी संख्या 9, 11, 12, 13 खेमराज की मृत्यु

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के पूर्व वर्ष 1953 में होने का कथन करते हैं, किन्तु वादीगण बाबू बाई व ईश्वरी बाई द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श ए2ए बंधक पत्र अनुसार दिनांक 22-03-1954 तक खेमराज के जीवित होने का प्रमाण है, क्योंकि दस्तावेज खेमराज स्वयं द्वारा निष्पादित किया गया है, जबकि नामान्तरकरण संख्या 84 जो दिनांक 23-11-1975 को स्वीकृत किया गया है, उसमें खेमराज की मृत्यु 22 वर्ष पूर्व अर्थात् 1953-54 में होना प्रकट होता है, लेकिन खेमराज की मृत्यु कब हुई इसका कोई ठोस प्रमाण वादीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं गया है, जबकि वादीगण का वाद स्वयं के पैरों पर खड़ा होता है। ऐसी स्थिति में यदि वे विवादित आराजियात में अपना हक अधिकार होने का दावा करती हैं तो उन्हें यह सिद्ध कराना आवश्यक था कि उनके दादा खेमराज की मृत्यु हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागू होने के बाद में हुई है।

इस संबंध में जो न्यायिक नजीर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 (1) न्यायालय हाजा के समक्ष अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत की गयी हैं, उसके अनुसार "सहदायिकी सम्पत्ति में हित का न्यागमन - (1) हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम 2005 के प्रारम्भ से या प्रारम्भ पर मिताक्षरा विधि द्वारा शासित संयुक्त हिन्दू परिवार में सहदायिकी पुत्री - (क) पुत्र की तरह उसी रीति में जन्म से उसके अपने अधिकार में सहदायिकी होगी, (ख) सहदायिकी सम्पत्ति में वही अधिकार रखेगी जैसा वह पुत्र होती तो रखती, (ग) उक्त सहदायिकी सम्पत्ति के संबंध में पुत्र के दायित्व के समान उन्हीं दायित्वों के अध्यक्षीन होगी।" जो अन्य न्यायिक नजीरें जो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 बाबत् प्रस्तुत की गयी हैं, उसमें अनुसार भी पुत्रियों का पुत्र के समान ही पैतृक सम्पत्ति में हक अधिकार माना जाता है, किन्तु इसके लिए अपीलान्ट/वादीगण बाबू बाई व ईश्वरी बाई को यह साबित कराना आवश्यक था कि उनके दादा खेमराज की मृत्यु हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागू होने के बाद हुई है,

क्योंकि उक्त अधिनियम से पूर्व पुत्रियों को पिता या पैतृक सम्पत्ति में कोई हिस्सा प्राप्त नहीं होता था, वे मात्र भरण पोषण की ही अधिकारी होती थी। ऐसी स्थिति में उक्त न्यायिक दृष्टान्त वर्तमान प्रकरण में चस्पा नहीं होते हैं। अभिभाषक अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर आर.आर.टी. 2024 (1) पेज 267 आदेश 20 नियम 5 से संबंधित होकर तनकीवार विवेचन नहीं किये जाने के संबंध में है, किन्तु प्रश्नगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीवार विस्तृत निर्णय पारित किया गया है, तदनुसार उक्त न्यायिक नजीर वर्तमान प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है। न्यायिक नजीर आर.आर.टी. 2024 (1) पेज 625 व आर.आर.टी. 2024 (1) पेज 255 घोषणा के दावे के मयाद के संबंध में है, जो इस प्रकरण पर चस्पा होती है, क्योंकि घोषणा के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। इसलिए अभिभाषक रेस्पॉन्डेन्ट संख्या 9, 11, 12, 13 का यह कथन कि वाद मयाद बाहर प्रस्तुत किया गया है, उचित नहीं है, क्योंकि घोषणा का दावा कभी भी प्रस्तुत किया जा सकता है।

2. नामान्तरकरण संख्या 84 जो खेमराज की मृत्यु पश्चात् उनके पौत्र उदयलाल व छगनलाल जो कि वादीगण बाबू बाई व ईश्वरी बाई के सगे भाई हैं, के पक्ष में दिनांक 23-11-1975 को स्वीकृत हुआ है, उसकी कोई अपील अपीलान्त/वादीगण द्वारा आज दिनांक तक नहीं की गयी है, जिससे उक्त नामान्तरकरण आज भी प्रभावी है एवं इसके विरुद्ध अपीलान्त/वादीगण को उजर उठाने का कोई औचित्य नहीं है।
3. वादीगण ने अपने वाद में हाल आराजी नंबर 229 रकबा 0.0400 हैक्टर, 230 रकबा 0.0600 हैक्टर, 231 रकबा 0.1000 एवं आराजी नंबर 232 रकबा 0.0900 हैक्टर को भी अपने वाद में शामिल करते हुए उन्हें खेमराज की भूमि होने का कथन किया है, जबकि उक्त आराजी नंबर साबिक आराजी नंबर 145 मीन व 146 मीन से बनना मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श डी.6 से स्पष्ट है एवं साबिक आराजी नंबर 145 मीन व 146 मीन खेमराज जी के खातेदारी में कभी भी

दर्ज नहीं रहे हैं, बल्कि प्रदर्श डी.1 अनुसार नाथूराम पिता गोविन्दराम के खातेदारी में दर्ज रहे हैं।

इसी प्रकार राजस्व ग्राम गाडरियावास के साबिक आराजी नंबर 149 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, जिसके हाल आराजी नंबर 233 रकबा 0.3300 हैक्टर को भी पैत्रक बताकर दावे में शामिल किया है, जबकि प्रदर्श डी.4 जमाबन्दी संवत् 2023 से 2026 के खाता संख्या 34 एवं प्रदर्श डी.5 जमाबन्दी संवत् 2031 से 2034 के खाता संख्या 32 में उक्त भूमि उदयलाल व छगनलाल के खातेदारी में दर्ज है, जिससे प्रमाणित होता है कि साबिक आराजी नंबर 145, 146 व 149 वादीगण की पैत्रक भूमि नहीं होकर उदयलाल व छगनलाल की स्वअर्जित सम्पत्ति है। इससे स्पष्ट होता है कि वादीगण ने उन आराजीयात को भी वाद में सम्मिलित कर लिया है, जो उनके दादा खेमराज की खातेदारी में कभी दर्ज ही नहीं रहे हैं। ऐसी स्थिति में उक्त आराजीयात जो उनके पिता अथवा दादा के खाते कभी दर्ज ही नहीं रही हैं, उन भूमियों संबंध में विचार की ही आवश्यकता नहीं है। वैसे भी वादीगण बाबु बाई व ईश्वरी बाई ने अपने दादा खेमराज की मृत्यु का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे उनके दादा खेमराज की मृत्यु सन् 1956 के बाद मानी जावे, जबकि यह दायित्व स्वयं वादीगण था कि वह किसी ठोस दस्तावेज से यह साबित कराते कि उनके दादा खेमराज की मृत्यु किस दिनांक को या किस वर्ष हुई। इससे स्पष्ट होता है कि वादीगण क्लीन हैण्ड ने नहीं आये हैं एवं तथ्यों को छुपाकर वाद प्रस्तुत किया है तथा वाद में किये गये कथनों को उनके द्वारा साबित नहीं कराये जाने के कारण अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण का वाद खारिज किया है, जो पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड अनुसार प्रथम दृष्टया विधि सम्मत प्रकट होता है।

4. पत्रावली के अवलोकन से हम यह भी पाते हैं कि साबिक आराजी नंबर 151 मीन व 152 मीन जमाबन्दी प्रदर्श डी.1 व डी.6 में दर्ज, मिलान क्षेत्रफल अनुसार इसके आराजी नंबर 239 व 242 बने हैं, जिसे वादीगण ने अपने वाद में शामिल नहीं किया है, जबकि

उक्त आराजी नंबर पैत्रक भूमि होकर खेमराज के खाते की भूमि है। इसी प्रकार साबिक आराजी नंबर 153 मीन के हाल नंबर 243 प्रदर्श डी.9 मिलाने क्षेत्रफल अनुसार बने हैं, जिसका विक्रय भी उदयलाल के वारिसान व छगनलाल द्वारा किया जा चुका है, जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 481 दिनांक 25-04-1999 स्वीकृत हुआ है, किन्तु वादीगण ने अपने वाद में उक्त हाल आराजी नंबर 243 को शामिल नहीं किया है। इसी प्रकार प्रदर्श डी.10 जमाबन्दी सेटलमेन्ट डिपार्टमेन्ट संवत् 2010 में साबिक आराजी नंबर 761, 2169 से 2173, 2239, 2244 से 2246, 2266, 2267 कुल कित्ता 12 रकबा 11 बीघा 9 बिस्वा भूमि वादीगण बाबू बाई व ईश्वरी बाई के दादा खेमा वल्द मोती के खुदकाशत में दर्ज है, जिसे वादीगण ने अपने वाद में शामिल नहीं किया है, जिससे भी स्पष्ट होता है कि वादीगण क्लीन हैण्ड से नहीं आये हैं एवं तथ्यों को छुपाकर वाद प्रस्तुत किया है। वादीगण द्वारा अपने वाद में किये गये कथनों को साबित नहीं कराये जाने के कारण अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण/अपीलान्त बाबू बाई व ईश्वरी बाई का वाद खारिज किया है, जो हमारे द्वारा किये गये उपरोक्त विवेचन अनुसार विधि सम्मत है।

5. प्रकरण में यह भी तथ्य सामने आया है कि राजस्व ग्राम पानेरियों की मादड़ी के साबिक आराजी नंबर 761 मीन जिसके हाल आराजी नंबर 896 व 897 बनना बताकर वादीगण ने यह वाद प्रस्तुत किया है, जबकि जमाबन्दी संवत् 1988 मेवाड़ सेटलमेन्ट के खाता संख्या 53/1 में साबिक आराजी नंबर 761 मीन के अलावा साबिक आराजी नंबर 1169 से 1173, 1238, 1244 से 1247 रकबा 11 बीघा 9 बिस्वा एवं खाता संख्या 53/2 साबिक आराजी नंबर 1058, 1059 रकबा 19 बिस्वा भूमि प्रदर्श डी. 10 अनुसार खेमराज के खाते में दर्ज थी, मिलान क्षेत्रफल अनुसार इनके नये आराजी नंबर 1685, 1696 से 1698, 1638 से 1642 बने हैं, जो राजस्थान आवासन मण्डल उदयपुर द्वारा अवाप्त की जा चुकी हैं, जिसकी मुआवजा राशि भी छगनलाल व उदयलाल के वारिसान अर्थात्

प्रतिवादी संख्या 1 से 6 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है, किन्तु वादीगण बाबू बाई व ईश्वरी बाई एवं प्रतिवादी संख्या 7 प्रतापी बाई ने इस पर कोई आपत्ति आज दिनांक तक नहीं की है, जिससे भी स्पष्ट होता है कि वादीगण द्वारा वाद तथ्यों को छुपाकर प्रस्तुत किया गया है एवं वादीगण क्लीन हैण्ड से नहीं आये हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में तनकीवार विवेचन करते हुए वादीगण का वाद एवं प्रतिवादी संख्या 7 प्रतापी बाई का काण्डर क्लेम खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से वादीगण/अपीलान्ट बाबू बाई व ईश्वरी बाई द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील संख्या 91/2024 सारहीन होने से खारिज योग्य है।

16. जहां तक प्रथम अपील संख्या 83/2024 का प्रश्न है, अपीलान्ट श्रीमती गुड्डी उर्फ दुर्गा द्वारा अपने पिता उदयलाल के 1/2 हिस्से में से प्राप्त अपने 1/10 समस्त हिस्से का रजिस्टर्ड विक्रय कर दिया गया है, किन्तु दौराने वाद कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 7 श्रीमती प्रतापी बाई की मृत्यु होने से वसीयत के आधार पर श्रीमती गुड्डी उर्फ दुर्गा जो पूर्व से प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 6 के रूप में प्रतिस्थापित थी, श्रीमती प्रतापी बाई के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 7 के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है, जिसके आधार पर अपीलान्ट श्रीमती गुड्डी उर्फ दुर्गा विवादित भूमि में अपना 1/3 हिस्सा होने का कथन करती है, जो उसके स्वयं की कथनों के विपरीत है, क्योंकि एक तरफ तो उसने विवादित भूमि में अपने पिता उदयलाल के 1/2 हिस्से को स्वीकार करते हुए उदयलाल के 5 वारिस होने से अपना 1/10 हिस्सा मानती है, जो उसके द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय भी कर दिया गया है तथा इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 3 कालूलाल जो उसका भाई है, वह भी श्रीमती प्रतापी बाई प्रतिवादी संख्या 7 का 1/3 हिस्सा होने का कथन करता है, जबकि प्रतिवादी संख्या 3 कालूलाल द्वारा भी अपना 1/10 हिस्सा मानते हुए भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय किया जा चुका है। अपीलान्ट गुड्डी उर्फ दुर्गा स्वयं के कथनानुसार जब उसके पिता का 1/2 हिस्सा था, जो उसकी दादी का हक व हिस्सा किस प्रकार 1/3 बनता है, यह साबित नहीं कराया है।

अपीलान्ट श्रीमती गुड्डी उर्फ दुर्गा के कथनानुसार विवादित भूमि में उसकी दादी का $1/3$ हिस्सा यदि माना जावे तो उसके पिता उदयलाल का $1/2$ हिस्सा नहीं बनकर $1/3$ हिस्सा ही बनेगा और ऐसी स्थिति में अपीलान्ट श्रीमती गुड्डी उर्फ दुर्गा का $1/10$ हिस्सा नहीं होकर $1/15$ हिस्सा ही बनेगा, जबकि उसके द्वारा अपने पिता उदयलाल के $1/2$ हिस्से में पांचवा हिस्सा अर्थात् अपना $1/10$ हिस्सा मानते हुए $1/10$ हिस्से का रजिस्टर्ड विक्रय दिनांक 22-09-2009 को श्रीमती मीना जैन के पक्ष में किया गया है। वैसे भी यदि खेमराज की मृत्यु सन् 1956 के बाद होना साबित होती (जो साबित नहीं है) तो अपीलान्ट श्रीमती गुड्डी उर्फ दुर्गा की बुआ अर्थात् वादीगण बाबु बाई व ईश्वरी बाई का भी विवादित भूमि में $1/5$, $1/5$ हिस्सा बनता, तो उस स्थिति में अपीलान्ट श्रीमती गुड्डी उर्फ दुर्गा के पिता स्वर्गीय उदयलाल का भी विवादित भूमि में $1/2$ हिस्सा नहीं होकर $1/5$ हिस्सा बनना, जिसके अनुसार श्रीमती गुड्डी उर्फ दुर्गा का $1/25$ हिस्सा ही बनता, जबकि उसके द्वारा $1/10$ हिस्से का विक्रय किया गया है अर्थात् उसके स्वयं के कथनानुसार अपने हिस्से से कहीं अधिक हिस्से की भूमि का विक्रय किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 7 श्रीमती प्रतापी बाई द्वारा काउण्टर क्लेम प्रस्तुत कर अपना $1/3$ हिस्सा होने का कथन किया है तथा अपीलान्ट श्रीमती गुड्डी उर्फ दुर्गा काउण्टर क्लेमकर्ता प्रतिवादी संख्या 7 श्रीमती प्रतापी बाई के फुट स्टेप पर आयी है, किन्तु प्रतिवादी संख्या 7 श्रीमती प्रतापी बाई ने भी अपने काउण्टर क्लेम के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज न तो अधीनस्थ न्यायालय में एवं न ही इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है, जिससे यह साबित होता हो कि विवादित आराजियात में श्रीमती प्रतापी बाई का $1/3$ हिस्सा हो। ऐसी स्थिति में जब प्रतिवादी संख्या 7 प्रतापी बाई का ही विवादित भूमि में कोई हिस्सा नहीं मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनका काउण्टर क्लेम खारिज किया गया है तो प्रतापी बाई के फुट स्टेप पर आई अपीलान्ट गुड्डी उर्फ दुर्गा का भी किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय में दौराने वाद कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 7 प्रतापी बाई का निधन हो जाने से अपीलान्ट गुड्डी उर्फ दुर्गा

को प्रतापी बाई के स्थान पर प्रतिस्थपित किया जाकर प्रतापी बाई द्वारा प्रस्तुत काउण्टर क्लेम साबित नहीं होने के आधार पर खारिज किया है, जो हमारे द्वारा किये गये उपरोक्त विवेचन अनुसार विधि सम्मत है एवं श्रीमती गुड्डी उर्फ दुर्गा द्वारा प्रस्तुत यह प्रथम अपील संख्या 83/2024 भी सारहीन होने खारिज योग्य है।

17. उपरोक्तानुसार विवेचन से दोनों अपीलें सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 26-07-2024 यथावत रखी जाती है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 20-05-2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील
(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.....मुकाम.....उदयपुर.....
व इजलासकीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

श्रीमती बाबूबाई पुत्री स्व.ऊंकार जी मेनारिया बनाम श्रीमती गुड्डी उर्फ दुर्गाबाई पुत्री
पत्नी दाडमचन्द मेनारिया, निवासी चिरवा, स्व.उदयलाल जी मेनारिया पत्नी
तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर व अन्य शिवशंकर मेनारिया, नि. पानेरियो
की मादडी, तहसील गिर्वा व अन्य

अपील नं....91/2024...व नाराजगी डिगरी अदालत...सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक).
.....गिर्वा..... मुकाम.....मुवर्खे.....26.....माह.....7.....2024

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....20.....माह.....05.....सन् 2025 रुबरू.....पक्षकारान
व हाजरी.....श्री मनीष शर्मा.....मिनजानिब अपीलान्त व.....श्री भावेश जैन

.....रेस्पोंडेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... अपील अपीलान्त
सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री
दिनांक 26-07-2024 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रुपये X.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... Xअदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....20.....माह.....05.....2025
को जारी किया गया।

(कीर्ति राठौड़)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्त	रू0	पै0	रेस्पोंडेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील.....		
मीजान			मीजान		

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।

डिगरी व सीगे अपील
(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.....मुकाम.....उदयपुर.....
व इजलासकीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

श्रीमती गुड्डी उर्फ दुर्गाबाई पुत्री बनाम श्रीमती बाबूबाई पुत्री स्व.ऊंकार जी मेनारिया
स्व.उदयलाल जी मेनारिया पत्नी पत्नी दाडमचन्द मेनारिया, निवासी चिरवा,
शिवशंकर मेनारिया, नि. पानेरियो तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर व अन्य
की मादडी, तहसील गिर्वा

अपील नं...83/2024...व नाराजगी डिगरी अदालत...सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक).
.....गिर्वा..... मुकाम.....मुवर्खे.....26.....माह.....7.....2024

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....20.....माह.....05.....सन् 2025 रुबरू.....पक्षकारान
व हाजरी.....श्री कैलाश नागदा.....मिनजानिब अपीलान्त व.....श्री रोशनलाल जैन

.....रेस्पोंडेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि... अपील अपीलान्त
सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री
दिनांक 26-07-2024 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रुपये X.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... Xअदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....20.....माह.....05.....2025
को जारी किया गया।

(कीर्ति राठौड़)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्त	रु0	पै0	रेस्पोंडेन्ट	रु0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील.....		
मीजान			मीजान		

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।